बिहार सरकार

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,

पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।

फोन नं0-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com

पत्रांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0 (परिवाद)-01/2019 228/आ0नि09.10 दिनांक-20.फरवरी'19

प्रेषक,

डॉ0 शिवाजी कुमार,
राज्य आयुक्त नि:शक्तता,
बिहार, पटना।

सेवा में,

संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना।

विषय :- **माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2019 में दिव्यांगजनों हेतु राईटर की सुविधा सुलभ कराने के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आगामी माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2019 में राईटर की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के **F. No.-34-02/2015-DD-III Dt.-29.08.2018** (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत जारी दिव्यांगजनों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा से सम्बन्धित मार्गदर्शिका **(Guidlines for Conducting Written Examination for Persons with Benchmark Disabilities)** की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध करना है कि मार्गदर्शिका में वर्णित निदेशों के अनुसार दिव्यांगजनों को आगामी माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2019 में अपेक्षित सुविधाएँ प्रदान की जाय।

उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार के F. No.-34-02/2015-DD-III Dt.-29.08.2018 की कंडिका-VI के अन्तर्गत निम्न प्रावधान हैं :-

"In case the candidate is allowed to bring his own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking examination."

इस सम्बन्ध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के पत्रांक-**BSEB(SS)/KEN/149/2019** दि0-08.02.2019 तथा विज्ञप्ति संख्या-पी0आर0-71/2019 (दोनों पत्रों की प्रति संलग्न) का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत इन्टरमीडिएट वार्षिक परीक्षा,2019 में दिव्यांगजनों हेतु राईटर की सुविधा सुलभ कराने के सम्बन्ध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के **F. No.-34-02/2015-DD-III Dt.-29.08.2018** के अन्तर्गत जारी दिव्यांगजनों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा से सम्बन्धित मार्गदर्शिका **(Guidlines for Conducting Written Examination for Persons with Benchmark Disabilities)** में वर्णित उक्त प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने संबंधी निदेश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रदान किये गये हैं।

माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2019 में राईटर की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कतिपय दिव्यांगजनों द्वारा दूरभाष माध्यम से यह शिकायत की गई है कि उन्हें केवल आठवीं पास शैक्षणिक योग्यताधारी छात्र/छात्राओं को हीं राईटर के रूप में उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है, जो कि भारत सरकार के **F. No.-34-02/2015-DD-III Dt.-29.08.2018** के अन्तर्गत जारी दिव्यांगजनों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा से सम्बन्धित मार्गदर्शिका में वर्णित निदेशों के अनुरूप नहीं है तथा दिव्यांगजनों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि नवम कक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को भी राईटर के रूप में शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

Scanned with CamScanner

अतः अनुरोध है कि मार्गदर्शिका में वर्णित उक्त प्रावधान के अनुरूप माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2019 में राईटर की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक - यथोक्त

विश्वासभाजन
20.02.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0 (परिवाद)-01/2019 228/आ0नि0श0 दिनांक-20.फरवरी'19

प्रतिलिपिः-जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के F. No.-34-02/2015-DD-III Dt.-29.08.2018 के अन्तर्गत जारी दिव्यांगजनों हेतु आयोजित लिखित परीक्षा से सम्बन्धित मार्गदर्शिका (Guidlines for Conducting Written Examination for Persons with Benchmark Disabilities) की प्रति संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त

20.02.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0 (परिवाद)-01/2019 228/आ0नि0श0 दिनांक-20.फरवरी'19

*प्रतिलिपि :- अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.02.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-सं0सं0-08/रा0आ0नि0 (परिवाद)-01/2019 228/आ0नि0श0 दिनांक-20.फरवरी'19

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

20.02.19
राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।

Scanned with CamScanner